आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

आदेश

विविध वाद संख्या–175/2017

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

कपील राम ———— प्रथम पक्ष

बनाम्

भोला राम वगैरह—————— द्वितीय पक्ष

13.03.2018

यह प्रक्रिया आवेदक कपील राम पिता–कौलेश्वर राम ग्राम–कौवल, पो0 + थाना–नौडीहा बाजार, जिला–पलामू ने 1. भोला राम पिता– मुनारीक राम 2. पंकज राम 3. सिकेंद्र राम दोनो के पिता–चनु राम 4. उमेश राम 5. महेंद्र राम दोनो के पिता–नान्हू राम 6. अवधेश राम पिता– सीमा राम 7. विजय राम 8. मिथलेश राम दोनो के पिता–शिवनंदन राम 9. सीता राम पिता–नागा राम 10. संजय राम 11. राजकुमार राम दोनो के पिता–सुरेश राम 12. उपेंद्र राम पिता–बुटानी राम 13. गोराई राम पिता–भुनेश्वर राम 14. राजेश्वर राम पिता–झमन राम 15. विशुनदेव राम 16. अकलेश राम 17. राजेंद्र राम तीनो के पिता–मुंगी राम सभी ग्राम–कौवल, पोस्ट + थाना–नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखील किया। उक्त आवेदन पत्र के आलोक में थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार से इस कार्यालय के ज्ञापांक 35 दिनांक 11.01.2018 से जॉच प्रतिवेदन कि मांग की गई। थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार ने अपने DR N0-08/18 दिनांक 17.01.2018 से जॉच

P-41 20.6.18

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	
	प्रतिवेदन समर्पित किया। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0 प्र0 सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः- मौजा- कौवल, खाता सं0-06, प्लॉट सं0-65, रकबा- 0.02 एकड़, चौहद्दी, उतर-देवशरण महतो, दक्षिण-मौजी साव, पूरब-विनोद भुईयाँ, पश्चिम-रोड एवं मौजी साव, खाता सं0-06, प्लॉट सं0-64, रकबा- 0.15 एकड़, चौहद्दी, उतर-प्लॉट सं0-61, दक्षिण-प्लॉट सं0-68, पूरब-प्लॉट सं0-63, पश्चिम-प्लॉट सं0-65, खाता सं0-30, प्लॉट सं0-56, रकबा- 0.04 एकड़, चौहद्दी, उतर-रामजन्म भुईयाँ, दक्षिण-प्लॉट सं0-56 का शेष भाग, पूरब-कपील राम, पश्चिम-नाला एवं खाता सं0-09, प्लॉट सं0-42, रकबा- 1.44 एकड़, चौहद्दी, उतर-विशुन महतो, दक्षिण-देवशरण महतो, पूरब-भोला यादव, पश्चिम-बनारसी यादव के लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गयी। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं द्वितीय पक्ष कारण पृच्छा दाखिल किये। द्वितीय पक्ष के कारन पृच्छा का सार यह है कि द्वितीय पक्ष के विरूद्ध प्रारम्भ किया गया मुकदमा निराधार है तथा धारा 144 दं0प्र0सं0 के अंतर्ग जिस प्लॉट पर नोटिस निर्गत किया वह गलत है। उभय पक्ष भोला चमार के वशंज हैं और खाता सं0-6, प्लॉट सं0-63, रकबा-2 डी0, प्लॉट सं0-62, रकबा-18 डी0, खाता सं0-9, प्लॉट सं0-41, रकबा-1.44 एकड़ एवं खाता सं0-30, प्लॉट सं0-56, रकबा-18.57 एकड़ ग्राम-कौवल के अतिरिक्त	

अनुसूची 14- फारम संख्या-562

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित (4)
1	2	3
	वर्ष 1935 में भूतपूर्व जमीन्दार वृजनंदन सहाय के द्वार भोला चमार के नाम से बंदोबस्ती पट्टा निर्गत कर दखल कब्जा दिया गया था और जमीन्दारी जाने के बाद बी0 आर0 एल0 एक्अट के अंतर्गत भोला चमार को रैयत दर्शाते हुए 22.97 एकड़ जमीन का रिटर्न दाखिल किया गया था जिसमें प्लॉट सं0–63, 64, 56 एवं 41 भी सामिल था। जमीन्दारी जाने के पूर्व भोली चमार जमीन्दार को मालगुजारी देकर राजस्व रसिद प्राप्त करते थे और जमीन्दारी जाने के बाद सरकार को मालगुजारी देकर राजस्व रसिद प्राप्त कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्यगन भोली चमार के नाती हैं और आपसी बटवारा के अनुसार अपने हिस्से के भूमि पर इंदिरा आवास बना रहे हैं जो इंदिरा आवास इस वाद में वर्णित प्लॉट अंतर्गत नहीं है। उस निर्मान में बाधा डालने के लिये यह मुकदमा दायर किया गया है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना एवं द्वितीय पक्ष द्वार दाखिल कारण पृच्छा का अवलोकन किया। अवलोकनो परांत पाया कि उभय पक्ष के द्वारा वाद भूमि सें संबंधित कोई भी ठोस राजस्वं दस्तावेज अपने पक्ष में प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित (ह0) 18/3/18 अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)। (ह0) 18/3/18 अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.29 12:22:31 +05:30
Location: 192.168.1.13